न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 28/2025 बउनवानी गिर्राज प्रसाद वर्मा **बनाम** लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार ,स0मा0 एडवोकेट, कोर्ट कैम्प सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/ 108

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.5.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 28.2.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *खातेदार बजरंगा पुत्र रामनारायण मीना के पुराना खाता संख्या 273 नया खाता संख्या 233 वाके ग्राम कुस्तला की जमाबन्दी सम्वत 2039 से 2077 तक की, मिलान क्षेत्रफल, नक्सा ट्रेस, समस्त नामा0 एवं सम्वत 2081 की खातेदारी की प्रमाणित सूचना* " तहसीलदार सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक: एफ/आरटीआई/2025/50/01.05.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 28.2.2025 मे चाही गयी सूचना यथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस,मिलान क्षेत्रफल,नामा0 के लिए नियमानुसार नकल आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकते हो। नकल की प्रकिया District Manual and Revenue Court manual के अनुरूप होगी। उक्त संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 42 दिनांक 9.4.2025 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 28.2.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना नकल प्रकिया District Manual and Revenue Court manual के अनुरूप होने के कारण उक्त सूचना हेतु नियमानुसार नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट को लिखा जा चुका है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उक्त सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:13:50 IST
Reason: SelfAttested